

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय राज. जयपुर
क्रमांक.प.24(ग)(13)नियम/डीएलबी/89/पार्ट-11/32396-32586 दिनांक: 22-08-17

आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषय: पशुवध गृह/मांस मछली की दुकाने बन्द रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्रांक 30733-30923 दिनांक 24/07/17 की निरन्तरता में जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.08.2017 शुक्रवार को भी राज्य के सभी बूचडखाने एवं मांस-मछली की दूकाने बन्द रखी जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

- क्रमांक.प.24(ग)(13)नियम/डीएलबी/89/पार्ट-11/32587-36626 दिनांक: 22-08-17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
 2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
 4. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
 5. समस्त उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
 6. जनसंपर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशित करवाने हेतु।
 7. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 8. सुरक्षित पत्रावली।

विरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी